पत्रांक-:- 06/पी0-02(स्था0)-05/2012............................/

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

राकेश कुमार ,
संयुक्त सचिव (प्रबंधन) ।

सेवा में,

सभी मुख्य अभियंता (असैनिक/यॉंत्रिक),
सभी अधीक्षण अभियंता (असैनिक/यॉंत्रिक),
सभी कार्यपालक अभियंता (असैनिक/यॉंत्रिक),

जल संसाधन विभाग, बिहार ।

पटना-15, दिनांक:-

विषय:- सभी क्षेत्रीय पदाधिकारियों/अभियंताओं (असैनिक/यॉंत्रिक) के मुख्यालय छोड़ने के पूर्व सक्षम प्राधिकार से एक स्तर ऊपर के पदाधिकारी की पूर्वानुमति प्राप्त करने संबंधी विभागीय पत्रांक-5706, दिनांक-04.12.2015 को निरस्त करने के सम्बन्ध में। .

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक विभागीय पत्रांक-5706, दिनांक-04.12.2015 (छायाप्रति संलग्न) को कार्यपालिका नियमावली एवं बिहार सेवा संहिता के प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

अनु0:- यथोक्त।

विश्वासभाजन,
ह0/-
(राकेश कुमार)
संयुक्त सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक:- 06/पी0-02(स्था0)-05/2012............................/पटना-15, दिनांक:-

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री के आप्त सचिव / सचिव के आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

ह0/-
संयुक्त सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक:- -: 06/पी0-02(स्था0)-05/2012..........181............/पटना-15, दिनांक:- 17.1.2020

प्रतिलिपि:- प्रभारी कम्प्यूटर कोषांग, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल-1, पटना को विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित ।

Kumar
17/01/2020

संयुक्त सचिव (प्रबंधन)।

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

संचिका सं0 – 6/पी0–02 (स्था0)–05/2012 5706 पटना/दिनांक 04.12.15

प्रेषक :– संजय कुमार शर्मा,
संयुक्त सचिव (प्रबंधन)।

सेवा में,

सभी मुख्य अभियंता (असैनिक/यांत्रिक)
सभी अधीक्षण अभियंता (असैनिक/यांत्रिक)
सभी कार्यपालक अभियंता (असैनिक/यांत्रिक)
जल संसाधन विभाग, बिहार।

विषय :– सभी क्षेत्रीय पदाधिकारियों/अभियंताओं (असैनिक/यांत्रिक) के मुख्यालय छोड़ने के पूर्व सक्षम प्राधिकार से एक स्तर के उपर के पदाधिकारी की पूर्वानुमति प्राप्त करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक के संदर्भ में कहना हैं कि विभागीय कार्यो की समीक्षा के क्रम में यह पाया जा रहा हैं कि क्षेत्रीय पदाधिकारियों/अभियंताओं द्वारा विभागीय कार्यो की प्रगति एवं समानुपातिक व्यय पर समुचित ध्यान नहीं दिया जा रहा हैं तथा उनके द्वारा अन्य कार्यो (यथा न्यायालय इत्यादि कार्यो) का संदर्भ देकर मुख्यालय से अनाधिकृत रुप से अनुपस्थित रहा जाता हैं, जिस कारण विभागीय कार्यो की अपेक्षित प्रगति नहीं हो रहीं हैं।

अतः निदेशानुसार यह स्पष्ट किया जाता हैं कि कोई भी क्षेत्रीय पदाधिकारी/अभियंता बिना सक्षम प्राधिकार के पूर्वानुमति के बिना आक़स्मिक अवकाश का उपभोग नहीं करेंगे। साथ ही अवकाश/किसी भी परिस्थिति में प्रस्थान करने के पूर्व सक्षम स्तर से एक स्तर उपर के पदाधिकारी का अनुमोदन प्राप्त कर ही मुख्यालय छोड़ेंगे। दृष्टांत स्वरुप निम्न तालिका –

क्रमांक	**पदनाम**	**मुख्यालय छोड़ने की अनुमति हेतु सक्षम प्राधिकार से एक स्तर उपर के पदाधिकारी**
1	कार्यपालक अभियंता	मुख्य अभियंता
2	अधीक्षण अभियंता	अभियंता प्रमुख
3	मुख्य अभियंता	प्रधान सचिव
4	अभियंता प्रमुख	प्रधान सचिव

इसका उल्लंघन दृष्टिगत होने पर संबंधित पदाधिकारी/अभियंता के विरुद्ध नियमानुकूल अनुशासनात्मक कार्रवाई की जायेगी।

साथ ही यह भी निदेश दिया जाता हैं कि अपने नियंत्रणाधीन कार्यरत अभियंताओं के मुख्यालय एवं आवास का पता, फैक्स संख्या, दूरभाष संख्या, मोबाईल संख्या तथा ई–मेल आई0 डी0 की विविरणी फैक्स द्वारा एक सप्ताह के अन्दर विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय।

विश्वासभाजन,

Sanjay 4/12/15

(संजय कुमार शर्मा)
संयुक्त सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक सं0 – 6/पी0–02 (स्था0) –05/2012 5706 पटना/दिनांक 04.12.15

प्रतिलिपि :–माननीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु सर्मपित।

Sanjay 4/12/15

(संजय कुमार शर्मा)
संयुक्त सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक सं0 – 6/पी0–02 (स्था0) –05/2012 5706 पटना/दिनांक 04.12.15

प्रतिलिपि :– प्रभारी, कम्प्यूटर कोषांग, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/(वेबसाइट पर डालने हेतु)/प्रभारी, एम0 आई0 एस0 कोषांग, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Sanjay 4/12/15

(संजय कुमार शर्मा)
संयुक्त सचिव (प्रबंधन)।